राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 13/2021

दायर दिनांक 25.3.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. जीवणराम पुत्र हरिराम जाति जाट नि0 रूपनगढ़

––प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 1956 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि कार्य हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत

निर्णय   दिनांक 21.02.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग की आराजी ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर के ख0न0 2352/2/4 में स्थित है जिसके वर्तमान ख0न0 4128/3841, 3849/2352 है जिसमे प्रार्थी वर्णित आराजी में से 1600 वर्गफीट पर चारदीवारी करके अपने व अपने परिवार सहित रहवास कर रहा है एवं कुछ भूमि पर अपने मवेशियों के लिये चारागृह बनाकर उनका लालन–पालन कर रहा है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर महोदय अपमेर के समक्ष एक राजस्व अपील संख्या 96/2011 बउनवानी जीवण बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 15.1. 2013 को आदेश परित किये गये थे कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार रूपनगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का अमुचित अवसर देकर विवादित भूमि के आवादी प्रयोजनार्थ विचाराधीन प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प–9(8) राज–6/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 के परिपेक्ष्य में नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे परन्तु अप्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2013 की आज दिन तक पालना नही की गयी है। न्यायालय अपर जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.1.2013 में यह अंकित किया गया है कि तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय श्रीमान डी0सी0 सामन्त अपने आदेश कमांक/कअ/राजस्व/83/57 दिनांक 14.01.1983 से ग्राम रूपनगढ के ख0न0 1809 हाल ख0न0 2352/2/4 में से रकबा 5 बीघा भूमि चारागाह से खारीज कर ग्राम पंचायत रूपनगढ को पंजीकृत मूल्य जमा कराने पर आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी जिसके अनुसार मौके पर प्रार्थी द्वारा काविज कर है जो नियमन योग्य है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वर्णित परिपत्र कमांक प–9(8) राज–6/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 एवं न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 30.03.2003 राजस्व अपील संख्या ग्राम रूपगनढ़ के ख0न0 1211 रकबा 1 बीघा भूमि बाबत् परिपत्र कमांक प–9(8) राज–6/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10. 2001 की अनुपालना हेतु तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा सरकार बनाम शफी मोहम्मद मुदमा नम्बर 1/2003 में निर्णय दिनांक 28.06.2004 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश अनुसार निर्णय पारित कर नियमन हेतु आदेशित किया गया था जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थी श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश की अनुपालना में नियमन (खातेदारी) प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी [illegible] नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (तहसीदार रूपनगढ़) की ओर से [illegible] जवाब पेश किया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रूपनगढ़ की वर्तमान जमाबंदी में ख0न0 3849/2352 [illegible] 1.8283 हे0 किस्म चारागाह (पुराना ख0न0 2352/2/4 व 4128/3841) चारागाह खाते में दर्ज है जिसके अधीन भूमि पर प्रार्थी बाड़ा बनाकर पशुपालन करता है। माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के राजस्व अपील संख्या 96/2011 (अपील अन्तर्गत धारा 75 रा–भू0राज0अधि0 1956) जीवण पुत्र हरिराम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.22 11:50:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

राज0 सरकार के निर्णय दिनांक 15.01.2013 से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार रूपनगढ़ में धारा 91 के राजस्व प्रकरण संख्या 326/2011 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2011 (अपीलाधीन ओदश) निरस्त किया जाकर अपील तहसीदार रूपनगढ़ को विवादित भूमि के आबादी प्रयोजनार्थ विचाराधीन प्रस्ताव एवं राज0 सरकार के परिपत्र क्रमांक प–9(8) राज–6/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 के परिपेक्ष्य में नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि न्यायालय अपर जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.01.2013 में अंकित किया है कि तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय, श्रीमान डी0सी0 सामंत ने अपने आदेश क्रमांक /कअ/राजस्व/83/57 दिनांक 14.01.1983 से ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 1809 हाल 2352/2/4 में से रकबा 5 बीघा भूमि चारागाह से खारिज कर ग्राम पंचायत रूपनगढ़ को पंजीकृत मूल्य जमा कराने पर आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी जिसके अनुसार मौके पर प्रार्थी द्वारा काबिज कर है जो नियमन योग्य है। इस संबंध में रिकार्ड से जांच करने पर भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल ख0न0 2352 पुराने ख0न0 1809 से नहीं बना है हाल खसरा न0 2352 एकीकरण ख0न0 1944 से बना है। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के पिता का सन् 1985 से कब्जा होना जाहिर होता है। न्यायालय श्रीमान अपर जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.01.2013 द्वारा प्रार्थी की अपील को स्वीकार किया गया था। अतः प्रार्थी के पुराने कब्जे को देखते हुए वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश की जाती है एवं अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी का पक्ष सुने बगेर वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करें।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (रूपनगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.22 11:50:52 IST
Reason: SelfAttested